

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र)

पत्रांक- 1594 / रेनुकूट / 15-108 दिनांक, रेनुकूट, नवम्बर, 15, 2022  
सेवा में,

महाप्रबन्धक  
नार्दन कोल फील्डस लि०  
बीना विस्तार परियोजना  
बीना-सोनभद्र ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि० की बीना परियोजना को बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे० आरक्षित वन भूमि का 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में । (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/MIN/24551/2017) ।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 1676 / 11-सी- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक- 14.11.2022

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे । प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ द्वारा इंगित की गयी कमियों का निराकरण कराते हुए भारत सरकार के आदेश दिनांक- 12.04.2022 द्वारा की गयी आपत्तियों का पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या पाँच प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित की जा सके । प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित प्रस्ताव की प्रति मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय से प्राप्त कर ले ।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक- 1676/11-सी-FP/UP/Min/24551/2017, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 14, 2022

में,

मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि० की बीना परियोजना को बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे० आरक्षित वनभूमि का 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार का पत्रांक-8वीं/यू०पी०/05/34/2022/एफ०सी०/25, दिनांक 12.04.2022, इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं०-2947/11-सी-FP/UP/Min/24551/2017, दिनांक 13.04.2022 एवं आपका पत्रांक-1560/मी०क्षे०/33, दिनांक 31.10.2022

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 31.10.2022 के द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 10.11.2022 को उपलब्ध कराया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त निम्न कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया:-

1. भारत सरकार की आपत्ति सं०-01 के निराकरण के क्रम में संलग्न किया गया CA स्थल की kml file पुनः प्रस्ताव सं०-41830/2019 के CA स्थल को ओवरलेप कर रहा है। अतः सही CA स्थल का चयन कर इससे सम्बन्धित अभिलेख यथा Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, kml file, प्राक्कलन एवं उपयुक्तता प्रमाण एवं आई०टी० द्वारा संशोधित DSS Analysis प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व का डिलिट कर संशोधित ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
2. भारत सरकार की आपत्ति सं०-04 के निराकरण के क्रम में संलग्न किया गया मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र के सभी पृष्ठों पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
3. भारत सरकार की आपत्ति सं०-06 के निराकरण के क्रम में संलग्न किया गया लागत लाभ विश्लेषण में संशोधित एन०पी०वी० की दर गलत ली गयी है। अतः सही एन०पी०वी० की दर 1357110 रु० प्रति हे० की से गणना कर लागत लाभ विश्लेषण संलग्न करें एवं पूर्व का लागत लाभ विश्लेषण ऑनलाइन भाग-1 एवं ऑनलाइन भाग-2 से डिलिट कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
4. भारत सरकार की आपत्ति सं०-07 के निराकरण के क्रम में Reclamation plan प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।
5. भारत सरकार की आपत्ति सं०-08 के निराकरण के क्रम में Wildlife Management plan & Conservation Plan प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।
6. भारत सरकार की आपत्ति सं०-11 के निराकरण के क्रम में संलग्न अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।
7. भारत सरकार की आपत्ति सं०-13 के निराकरण के क्रम में संलग्न अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।
8. भारत सरकार की आपत्ति सं०-18 के निराकरण के क्रम में भारत सरकार द्वारा वांछित मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
9. उपरोक्त कमियों के निराकरण के उपरान्त संशोधित अभिलेखों की एक पी०डी०एफ० फाइल एवं संशोधित CA स्थल की kml file पेनड्राइव में अपलोड कर संलग्न करें।

अतः उक्त इंगित कमियों का निराकरण कराते हुये भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा की गयी आपत्तियों का पूर्ण बिन्दुवार निराकरण एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कि आवश्यक अग्रतत्तर कार्यवाही की सके।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1676/11-सी-FP/UP/Min/24551/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि०, बीना परियोजना, बीना-सोनभद्र।

o/c

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।